न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – नेहा छीपा R.A.S

प्रकरण संख्या 114/2023 राजस्व प्रार्थनापत्र

अनवान

1 दिनेश कुमार पिता बंशीलाल शर्मा (ब्राहमण) उम्र–वयस्क निवासी हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा राज.

..... **प्रार्थी**

बनाम

1 देबीलाल पिता रामस्वरूप ब्राहमण उम्र–वयस्क निवासी हमीरगढ हाल निवासी बी.एम.147 कपासन रोड, जिंक नगर, गणेशपुरा, चित्तौडगढ राज.
2 इन्द्रा पुत्री रामस्वरूप ब्राहमण उम्र–वयस्क निवासी हमीरगढ हाल निवासी पत्नि ईश्वर दत्त व्यास, व्यास सदन यूआईटी के पीछे सुभाष नगर वार्ड नम्बर 46 भीलवाडा राज.
3 राकेश पिता रामस्वरूप ब्राहमण उम्र–वयस्क निवासी हमीरगढ हाल निवासी जैन डिस्ट्रीब्यूटर के सामने वाली गली, सोनी हॉस्पीटल चौराहा पंचवटी, भीलवाडा राज.
4 रेखा पुत्री रामस्वरूप ब्राहमण उम्र–वयस्क निवासी हमीरगढ हाल निवासी जैन डिस्ट्रीब्यूटर के सामने वाली गली, सोनी हॉस्पीटल चौराहा पंचवटी, भीलवाडा राज.
5 कमला पत्नी राकेश पिता रामस्वरूप ब्राहमण उम्र–वयस्क निवासी हमीरगढ हाल निवासी जैन डिस्ट्रीब्यूटर के सामने वाली गली, सोनी हॉस्पीटल चौराहा पंचवटी, भीलवाडा राज.
6 राजस्थान राज्य जरिये, तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)

..... **अप्रार्थीगण**

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन

उपस्थित :::– श्री कैलाश चन्द्र आचार्य प्रार्थी अधिवक्ता
राज्य पक्ष तहसीलदार हमीरगढ
श्री पृथ्वीराज चौधरी अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 05

निर्णय

दिनांक 01.10.2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए दिनांक 18.07.2023 को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अनुसार मौजा हमीरगढ पटवार मण्डल क्षेत्र हमीरगढ तहसील हमीरगढ स्थित आराजी संख्या 5046/1355 प्रार्थी के पक्ष में खातेदारी अधिकारों में दर्ज अभिलिखित है, एवं प्रार्थी की खातेदारी खसरे में आवागमन का कोई स्थाई चिन्हीकरण/रास्ता उपलब्ध नही होने से पडौसीयों से मिन्नत करके अपने खसरान तक पहुंचना पडता है। प्रार्थी वर्षो से अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 05 के सहखातेदारी खसरे में से

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)

Scanned with ACE Scanner

होकर आता जाता रहा है, परन्तु अब अप्रार्थीगण द्वारा रूकावट/बाधा उत्पन्न किये जाने से प्रार्थी ने विपक्षी संख्या 01 लगायत 05 की सहखातेदारी आराजी संख्या 1364 की मेड के सहारे सहारे 15 फिट नवीन रास्ता कायमी बाबत प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। अंत में प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार कराया जाकर प्रार्थी के खातेदारी खसरे में पहुंच हेतु अप्रार्थीगण के हक स्वामित्व के खसरा संख्या 1364 भूमि में से 15 फिट नवीन रास्ता कायम किये जाने की ईस्तदुआ की गई।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 18.07.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस, कारण दर्शित करने हेतु तलब किया गया। अप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी नोटिस बाद तामील प्राप्त हुए, जिन्हे रेकार्ड पर लिया गया। अप्रार्थी क्रम 01 से लगायत 05 की ओर से द्वारा खण्डन/प्रतिरोध स्वरूप प्रस्तुत किये गये जवाब के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी का वर्षो से अप्रार्थी के खसरे से आवागमन का कथन असत्य है। प्रार्थी के पास मौके पर वैकल्पिक मार्ग पहले से ही मौजूद है, जिसका उपयोग प्रार्थी वर्षो से करता चला आ रहा है। प्रार्थी अपनी पंजीकृत खरीदशुदा आराजी भूभाग में मुख्य सडक खसरा संख्या 4961/1352 से आवागमन करता चला आ रहा है। मूल रूप से प्रार्थी द्वारा मीन नम्बर खसरा संख्या 1355 में से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र पहुंच आराजी भूभाग खरीद किया था, जिसमें निर्बाध आवागमन हेतु खसरा संख्या 4960/1352, 4963/1353 पहले से ही राजकीय/सरकारी रास्ते के रूप में दर्ज है। पंजीकृत बिकावपत्र में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया हुआ है। साबिक राजस्व नक्शे में भी उक्त रास्ते को डोटेड/कदमी मार्ग के रूप में दर्शित किया हुआ है। इस उल्लेखित वैकल्पिक मार्ग से प्रार्थी होकर अपनी आराजी में प्रवेश करता आ रहा है। जवाबदाता के खसरे में से न तो वर्तमान में कोई रास्ता निकल रहा है न ही कभी निकला था। 15 फीट नवीन रास्ता कायमी का यह झूंठा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है, जो न्याय संगत नही है। शुरूवात से ही प्रार्थी की वैकल्पिक मार्ग से बिना किसी बाधा/रूकावट के आवाजाही रही है।

यदि प्रार्थी को चाहे गये रास्ते अनुसार भूमि दे दी जाती है, तो अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 05 को इससे भारी क्षति होगी, साथ ही इससे अप्रार्थीगण का कृषि कार्य भी प्रभावित होगा। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी सव्यय खारीज फरमाया जावें।

न्यायालय द्वारा तहसीलदार हमीरगढ को जरिये पत्र यह निर्देश दिये गये कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रिकार्ड एवं मौके का अध्ययन कर, नियमानुसार नवीन रास्ता कायमी के प्रस्ताव भिजवाया जावें, जिसके अनुपालन में तहसीलदार हमीरगढ ने अपने प्रतिवेदन के साथ रिपोर्ट हल्का पटवारी, मौका पर्चा, नजरी नक्शा, जमाबन्दी आदि पत्रादि प्रस्तुत की।

प्रकरण में तहसीलदार हमीरगढ से प्राप्त नवीन रास्ता कायमी बाबत मौका रिपोर्ट से यह अवगत कराया है कि प्रार्थी के निर्बाध आवागमन हेतु खसरा संख्या 4960/1352, 4963/1353 पहले से ही राजकीय/सरकारी रास्ते के रूप में दर्ज है। परन्तु माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एंव पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा के यहां से जारी स्थगन आदेश की पालना में

उपखण्ड अधिकारी
हमी... (राज.)

उपरोक्त खसरान पर स्थगन का दाखिला लगा हुआ है। वर्तमान में प्रार्थी के पास चाहे गये मार्ग के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक का अभाव है। चाहा गया मार्ग ही प्रार्थी के पास एक मात्र मार्ग होना बताया गया है। तहसीलदार द्वारा मौजा हमीरगढ पटवार मण्डल क्षेत्र हमीरगढ तहसील हमीरगढ स्थित अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 05 के सहखातेदारी खसरा संख्या 1364 रकबा 0.8852 में से 0.0290 हैक्टयर (58 मीटर बाई 5 मीटर/290 वर्गमीटर) भूमि नवीन मार्ग के लिए प्रस्तावित की गई है। इस पर आपत्ति रूवरूप अप्रार्थीगणों की ओर से प्रस्तुतशुदा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा आदेश 26 नियम 09 एवं धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता को अप्रार्थीगण पक्ष स्वयं द्वारा प्रत्याहरित कर लिया गया।

उभयपक्षों के विद्वान अभिभाषक ने बहस में अपने अभिवचनों/तर्को से उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र/जवाब को मंजूर किए जाने का अनुरोध किया।

जवाबदाता द्वारा बतौर वैकल्पिक मार्ग जवाब में किये गये जिक्र अनुसार प्रार्थी के पास मौके पर सरकारी/राजकीय मार्ग के रूप में दर्ज खसरा संख्या 4960/1352, 4963/1353 पहले से ही मौके पर मौजूद होने तथा प्रार्थी द्वारा उस वैकल्पिक मार्ग के निर्बाध उपयोग किये जाने से न्यायालय को अवगत कराया गया है। जिसे अप्रार्थीगण ने नजरी नक्शे तथा अपने समर्थन में प्रस्तुत कराये गये आवश्यक सबूत/दस्तावेजात के माध्यम से पूर्णतया साबित भी किया है। प्रार्थी इस वैकल्पिक मार्ग से बिना किसी रूकावट निर्बाध आवागमन कर रहा है। यानि निसंदेह प्रार्थी ने न्यायालय से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य छिपाते हुए यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है।

न्यायालय यह समझता है कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया नवीन मार्ग अपनी सुविधा मात्र के लिए चाहा गया है। अवगत कराये गये वैकल्पिक मार्ग से बैवजह किसी निजी खातेदार रकबा प्रभावित नही होगा। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते अनुसार नवीन मार्ग यदि कायम कर दिया जाता है तो अप्रार्थीगण का बिना किसी कारण रकबा प्रभावित होगा एवं संभवतया उनका कृषि कार्य भी प्रभावित हो। जबकि आवागमन के लिहाज से प्रार्थी के पास पहले से ही मौके पर बेहतर विकल्प मौजूद है। यद्पि माननीय न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एंव पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा के यहां से उपरोक्त खसरान पर स्थगन आदेश जारी किया हुआ है, लेकिन केवल इस कारण मात्र से प्रार्थी की वांछना अनुसार मौके पर एक पृथक से नवीन मार्ग कायम किया जाना न्यायपूर्ण नही होगा।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई बहस पर मनन/चिन्तन किया गया एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित मौका रिपोर्ट के विश्लेषण परिणामस्वरूप न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र से चाहा गया अनुतोष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क)(1) में इंगित वैकल्पिक मार्ग पहले से मौजूद वाले मापदंड को आधार मानते हुए देय नही है।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)

Scanned with ACE Scanner

–::आदेश::–

प्रार्थनापत्र प्रार्थी अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) में इंगित तथ्यो अनुसार नवीन मार्ग की आत्यंतिक आवश्यकता का अनुतोष सिद्ध नही होने एवं वैकल्पिक मार्ग पहले से मौजूद होने के कारण पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार किये जाने के आदेश पारित किये जाते है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 01–10–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नेहा छीपा)
उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ
जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ़

Scanned with ACE Scanner